(17)

(41)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : श्री आर.के.मिश्रा, सदस्य

प्रकरण क्रमांक निग/423/तीन/15 जिला सीधी विरूद्ध आदेश दिनांक 12-11-14 पारित द्वारा अपर आयुक्त, रीवा, संभाग रीवा प्रकरण क्रमांक 401/अपील/13-14.

---

1. रामनिवास सिंह तनय जयराम सिंह बरगाही
2. मुस. रामकली पत्नी तिलकराज सिंह
3. व्यंकट सिंह तनय तिलकराज सिंह
4. मृत लालबिहारी सिंह के वारिसान
   (अ) श्रीमती आशा सिंह पत्नि स्व.श्री लालबिहारी सिंह
   (ब) अमित सिंह तनय स्व. श्री लाल बिहारी सिंह
   (स) आशीष सिंह तनय स्व.श्री लाल बिहारी सिंह
5. रामकलेश सिंह तनय तिलकराज सिंह
6. मृत रामनरेश सिंह के वारिसान
   (अ) मुस. रामकली पत्नी स्व. श्री रामनरेश सिंह
   (ब) सुजीत सिंह तनय स्व. श्री रामनरेश सिंह
   (स) शिवम सिंह तनय स्व. श्री रामनरेश सिंह
   (द) कु. हेमा सिंह तनय स्व. श्री रामनरेश सिंह

   सभी निवासीग्राम पिपरांव, तहसील रामपुर नैकिन जिला सीधी मप्र

.....पुनरीक्षणकर्ता / आवेदकगण

बनाम

शासन म.प्र

.....गैरपुनरीक्षणकर्ता / अनावेदकगण

श्री डी. पी. मिश्रा अभिभाषक, आवेदकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 29/8/18 को पारित)

1/ आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत तहसीलदार, अपर आयुक्त, रीवा, संभाग रीवा द्वारा पारित दिनांक 12-11-14 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण में निगरानीकर्ता का तर्क यह है कि आवेदकगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त, रीवा, संभाग रीवा के प्रकरण क्रमांक 401/अपील/13-14 आदेश दिनांक 12-11-14 में धारा 5 का आवेदन प्रस्तुत किया गया जिसे निरस्त कर दिया गया। जिससे व्यथित होकर आवेदकगण द्वारा यह निगरानी प्रस्तुत की गयी है। आवेदकगण द्वारा धारा 5 म्याद अधिनियम के आवेदन में दर्शाया था कि आवेदकगण को कलेक्टर महोदय सीधी के आदेश की जानकारी उस समय हुयी जब एक शिकायती प्रकरण की पेशी दिनांक 04-03-14 को कोर्ट में उपस्थित हुए। जबकि न्यायालय कलेक्टर जिला सीधी के प्रकरण क्रमांक 14/अ-74/10-11 में आदेश दिनांक 20-06-11 को पारित हो चुका था। न्यायालय अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा द्वारा कलेक्टर सीधी के आदेश का अनुसरण करते हुए धारा 5 का आवेदन निरस्त कर दिया गया जिसके विरूद्व आवेदकगण द्वारा निगरानी प्रस्तुत की गयी है।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक के तर्कों पर विचार किया एवं अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख का अवलोकन किया गया। अपर आयुक्त रीवा, संभाग रीवा के आलौच्य आदेश दिनांक 12-11-14 में धारा 5 के आवेदन को निरस्त किया गया है । प्रकरण के अवलोकन से यह भी पाया गया कि अपील दिनांक 31-01-11 को कलेक्टर के न्यायालय में उपस्थित होकर आर्डर शीट पर हस्ताक्षर कियेहै कलेक्टर के द्वारा दिनांक 11-04-11 केा प्रकरण आदेश हेतु नियत किया गया। जिसकी जानकारी अपीलाथर्ी को है। कलेक्टर द्वारा दिनांक 20-06-11 को आदेश पारित किया गया है दिनांक 20-06-11 के बाद अपीलार्थी को आदेश की जानकारी 4-3-14 को हुई। प्रकरण के अवलोकन से ज्ञात होता है कि पारित आदेश के दिनांक से दिन प्रतिदिन के विलम्ब का कारण अपीलार्थी स्पष्ट नहीं कर पाये है । जिसके कारण अपील निरस्त की गयी है।

अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के आलौच्य प्रकरण क्रमांक 401/अपील/13-14 आदेश दिनांक 12-11-14 का भली भांति अवलोकन किया गया एवं पाया गया कि तीन वर्ष बाद अपील पेश करना म्याद के बाहर है। इसलिये अपीली आवेदन निरस्त किया गया है।

प्रकरण में निगरानीकर्ता द्वारा कोई भी ऐसा तथ्य पेश नहीं किया गया जिसके आधार पर अपर आयुक्त, रीवा, संभाग रीवा प्रकरण क्रमांक 401/अपील/13-14 आदेश दिनांक 12-11-14 को निरस्त किया जा सके। अत: अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा आदेश दिनांक 12-11-14 हस्तक्षेप योग्य न होने से स्थिर रखा जाता है एवं निगरानी आधारहीन होने से निरस्त की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड वापिस हो।

29/8/18

(आर.के.मिश्रा)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर